

LAND DOCUMENT SALE / GIFT / GOVT LEASE

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 68/3 2(6)/1979/रा 1, दिनांक: 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्थ अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश अधिनियम 1(1951) की धारा- 177 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या: 258/रा-1-16(1)-73, दिनांक: 07.05.1981 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, कंचन वर्मा, जिलाधिकारी बलरामपुर संलग्न सूची के अनुसार उल्लिखित भूमि जो कि अब तक उपरोक्त दिनांक 5.09.86 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लंती हूँ, तथा राजकीय पालीटेक्निक सुरहिया देवर, तहसील उत्तरौला जनपद बलरामपुर के निर्माण हेतु पदेन राजकीय पालीटेक्निक, सुरहिया देवर तहसील उत्तरौला, जिला बलरामपुर के नाम हस्तान्तरित करती हूँ।

क्रम संख्या	जिला	तहसील	परगना	गांव	गांव सभा	प्लाट नं/ क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पूर्णप्रहण किया गया)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बलरामपुर	उत्तरौला	उत्तरौला	सुरहिया देवर	गहुवाभनी	327 आ गिरा/ 2.428 हें	राजकीय पालीटेक्निक सुरहिया देवर तहसील उत्तरौला

(कंचन वर्मा)

जिलाधिकारी,

बलरामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर।

संख्या: ४९७ /भू०व्य०लि०(पूर्णप्रहण)/2009

दिनांक: दिसम्बर १७, 2009

प्रतिलिपि:- 1. उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार, उत्तरौला को उपरोक्तानुसार अभिलेखों में अमलदरामद कराने हेतु।

2. प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, गांडा/ बलरामपुर को सूचनार्थ।

सत्यापित

प्रधानाचार्य

13/12/18

Lamban

जिलाधिकारी,

बलरामपुर।

छत्रपति शाहू जी महाराज
राजकीय पालीटेक्निक, बलरामपुर